झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचदश– (बजट)सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 08 माघ, 1940 [श0] / 28 जनवरी, 2019 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गयी सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
50– उ0प्र0	अ0सू0– 22	श्री राधाकृष्ण किशोर	राजस्व वृद्धि करना।	वाणिज्यकर	23.01.2019
51– उ0प्र0	अ0सू0– 19	श्री राज सिन्हा	अनुसंधान शीघ्र कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	21.01.2019
*52–	अ0सू0– 17	श्री प्रदीप यादव	विशेष अभियान चलाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	21.01.2019
53– उ0प्र0	अ0सू0– 20	श्री बिरंची नारायण	प्रसारण की व्यापकता बढ़ाना।	सूचना एवं जनसम्पर्क	21.01.2019
54– उ0प्र0	अ0सू0– 23	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	आरक्षण देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23.01.2019
55– उ0प्र0	अ0सू0– 15	श्री बादल	लाभ देना।	योजना सह– वित्त	20.01.2019
56– उ0प्र0	अ0सू0– 18	श्री प्रदीप यादव	मनमानी पर रोक लगाना।	योजना सह– वित्त	21.01.2019
57– उ0प्र0	अ0सू0– 16	श्री बादल	परिवहन भत्ता देना।	योजना सह– वित्त	21.01.2019

*52. अ0सू0-17 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-674, दिनांक-23.01.19 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
58	अ0सू0– 24	श्रीमती गीता गोड़ा	ठोस नीति बनाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	23.01.2019
59	अ0सू0– 21	श्री राधाकृष्ण किशोर	विशेष योजना बनाना।	योजना सह– वित्त	23.01.2019..

राँची,
दिनांक– 28 जनवरी, 2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03/2015......927....../वि0स0, रांची, दिनांक– 25/01/19

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक– संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03/2015......927....../वि0स0, रांची, दिनांक– 25/01/19

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, आप्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक– संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03/2015 927 ......25/01/19./वि0स0, रांची,
दिनांक–

प्रतिः– कार्यवाही शाखा,/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

सुभाष

(50)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 22 का उत्तर

प्रश्न श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0	उत्तर श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय प्राधिकृत मंत्री (वाणिज्य–कर विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के वाणिज्य–कर विभाग में वाणिज्य–कर पदाधिकारी से लेकर सहायक आयुक्त के 379 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 150 पद रिक्त हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य–कर पदाधिकारी (वाणिज्य–कर पदाधिकारी) से लेकर सहायक आयुक्त के 321 स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुल 136 पद रिक्त हैं। राज्य कर पदाधिकारी के 104 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी है। सहायक आयुक्त के रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। सम्प्रति सहायक आयुक्त के कुल 25 पद रिक्त हैं।
2. क्या यह बात सही है कि गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी एवं जामताड़ा जिलों में वाणिज्य–कर विभाग का कार्यालय भी नही है, फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 8000 करोड़ रूपये का राजस्व वृद्धि प्रभावित हो रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गढ़वा एवं लातेहार पलामू अंचल, सिमडेगा गुमला अंचल, खूंटी रॉची दक्षिणी अंचल एवं जामताड़ा देवघर अंचल के क्षेत्राधिकार में स्थित है। उक्त जिलों में वाणिज्य–कर कार्यालय नही रहने से 8000 करोड़ रूपये राजस्व प्रभावित होने का तथ्य निराधार है। गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी एवं जामताड़ा जिलों में वाणिज्य–कर अंचल/कार्यालय गठन की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।
3. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि वाणिज्य–कर विभाग के विभागीय संरचना को मजबूत कर राजस्व वृद्धि हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नही तो क्यों ?	माल और सेवा कर प्रणाली (GST) के अन्तर्गत कार्यों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य–कर विभाग द्वारा विभागीय संरचना (Structure) को मजबूत करने, रिक्त पदों पर नियुक्ति करने, सहायक आयुक्त एवं अन्य उच्चतर पदों पर प्रोन्नति देने तथा विभिन्न स्तर के पदों में वृद्धि हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ताकि राजस्व वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। मानव संसाधन के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आधारभूत संरचना एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं कर–अपवंचना की रोकथाम के लिए भी विभाग प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– 364 दिनांक– 25/1/19

प्रतिलिपि– उपसचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या– 772 दिनांक 23.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19

(अजय कुमार सिन्हा)
राज्य–कर अपर आयुक्त,
झारखण्ड, रॉची।

(51)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग कानूनी सहायता पाने को एस०सी०, एस०टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त एक्ट के तहत वर्ष 2010 से 2018 के बीच राज्य के विभिन्न थानों में 500 से अधिक मामले अनुसंधान नहीं किए जाने से लंबित पड़े हैं ;	झारखण्ड राज्य में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2010 से नवम्बर, 2018 तक लंबित काण्डों की संख्या 547 है, जिनका अनुसंधान जारी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस लंबित मुकदमा का अनुसंधान शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत दर्ज काण्डों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी जिला के पुलिस अधीक्षकों को नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय के स्तर से निदेश दिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज काण्डों की समीक्षा हेतु अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा एक अलग Cell का गठन किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के स्तर से भी उक्त काण्डों की मॉनिटरिंग की जाती है तथा पीड़ित पक्षों को उचित मुआवजा हेतु प्रस्ताव दिया जाता है। प्रत्येक जिला में एस0सी0/एस0टी0 थाना का गठन किया गया है, जहाँ उनकी शिकायतों को सुनते हुए त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है। लंबित काण्डों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक के स्तर से समीक्षा करते हुए अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–6169, दिनांक–08.11.2018 द्वारा SC-ST (PoA) Act 1989 के संबंध में लंबित मामले के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक महिने के दूसरे सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग की अध्यक्षता में कल्याण विभाग एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक–एक प्रतिनिधि द्वारा भाग लेकर जिलावार कांडों की समीक्षा कर निष्पादन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–01/2019–561/ राँची, दिनांक–25/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–707, दिनांक–21.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/19
सरकार के अपर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा विधानसभा अधिवेशन में दिनांक 28.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 20, का प्रश्न तथा उत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में झारखण्ड सरकार ने अपने लोककल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु नगर के प्रमुख स्थलों पर LED Screen लगाया है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन सरकार के निर्णयों और क्रियाकलापों से आम जनता को रू–ब–रू कराया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इसके अलावा उक्त प्रसारण को सरकार की वेबसाइट www.jhargov.tv में भी प्रसारित करवाया जाता है, लकिन फिर भी झारखण्ड के सुदूर गॉव तक सरकार की उक्त जानकारियॉ नहीं पहुँच पा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकार के सारे प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं की जानकारी www.jhargov.tv पर लाईभ, स्टैटिक एल.ई.डी. एवं चलंत एल.ई.डी. के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। स्मार्ट फोन के माध्यम से सुदूर गांवों में भी इसे देखा जा सकता है। सुदूर गांव में चलंत एल.ई.डी. तथा सेमिनार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उक्त जानकारियों को उपलब्ध करवायी जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रसारण को दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल से जुड़वाते हुए उक्त प्रसारण की व्यापकता बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	दूरदर्शन भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। राज्य सरकार यथा आवश्यक योजनाओं का प्रचार–प्रसार दूरदर्शन के माध्यम से कराती है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/06/2019 सू०ज०स०.....58.......... रांची,दिनांक 26/01/2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/1/19

सरकार के उप सचिव

(54)

प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि BP मण्डल कमिशन की सिफारिसें 13 अगस्त 1990 ई0 से पूरे भारत में लागू हैं जिसके तहत नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 के द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18% तथा पिछड़ा वर्ग को 09% कुल 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0–W.P.(P.I.L)– 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य W.P (P.I.L)– 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक–30.09.2002 को पारित आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखने के आदेश के अनुपालन में कुल आरक्षण 50% निर्धारित किया गया जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जिसे बाद में विभागीय संकल्प सं0–5162, दिनांक–25.09.2008 के द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) में विभाजित कर इनके लिए क्रमशः 08% तथा 06% आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि संयुक्त बिहार में पिछड़ो को यह सुविधा मिल रही थी;	अस्वीकारात्मक। The Bihar Act 3, 1992 के तहत् अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 12 एवं 08 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभाजन के बाद झारखण्ड राज्य में पिछड़ो से उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार पिछड़ो को 27 % आरक्षण नहीं प्रदान कर संविधान के विरुद्ध काम कर रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में रहने वाले 56% पिछड़ो को संविधान के अनुसार 27% आरक्षण देने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–09/2019 का0–**770**/रांची, दिनांक **25.01.2019**

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–773 वि0स0 दिनांक–23.01.2019 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बादल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं०– 15 दिनांक 28.01.2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2177/वि॰, दिनांक 28.07.2015 के द्वारा राज्य सरकार अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों यथा प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/ डाटा इन्ट्री आपरेटर आदि के मानदेय में 113% महंगाई भत्ता अनुमान्य करते हुए एक मुश्त वृद्धि की गई तथा पुनः इन्हें वित्त विभाग के सं॰ 1965/वि॰, दिनांक 02.06.2017 के द्वारा सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए दिनांक 01.04.2017 के प्रभाव से इसका लाभ दिया गया है।	**स्वीकारात्मक।**
(2.) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार अन्तर्गत जिन संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 2177/वि०, दिनांक 28.07.2015 के द्वारा किया गया था, उनको पुनः सातवें वेतनमान का लाभ 01.04.2017 के प्रभाव से दिया जाना है।	वित्त विभागीय संकल्प सं॰ 2176 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार संविदा कर्मियों को संविदा राशि का भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार अधीन स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता MPW (M) जिनका पूर्व में 113% महंगाई भत्ता के साथ मानदेय निर्धारण किया गया था को पुनः सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने हेतु गठित संचिका सं0–24/रा0 का0/स्वा0–402/17 (जो की वर्त्तमान में वित्त विभाग में है) पर लाभ देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गई है। इस कंडिका में उल्लेखित संचिका आवश्यक परामर्श के साथ प्रशासी विभाग को वापस कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–14/2019.... 26/वि॰ स॰ **राँची/दिनांक:** 27.01.2019

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 636/वि०स०, राँची, दिनांक 20.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

(56)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 18 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आर0 बी0 आई0 के कड़े निर्देश के बावजूद भी झारखण्ड के बैंक में सिक्कों को जमा नहीं ले रहे हैं ; (प्रभात खबर, राँची, दिनांक 17 जनवरी, 2019)	आशिंक रूप से स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि सिक्कों को जमा नहीं लेने से आमजनों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	आशिंक रूप से स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब कोई ठोस पहल कर, बैंकों की मनमानी पर रोक लगाने के दिशा में समूचित प्रयास चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अधिकतर बैंक भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के अन्तर्गत कार्य करते हैं । पत्रांक 252/वि0 दिनांक 25.01.2019 के द्वारा इस समस्या के निदान हेतु भारत सरकार के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग को लिखा गया है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक:10/वि0स0(4)11/2019:...31...../ राँची, दिनांक:...27.01.2019.../

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 704/वि0स0 दिनांक 21.01.2019 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

Question Bidhan Sabha

(57)

श्री बादल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं०– 16 दिनांक 28.01.2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि सातवें वित्त आयोग के अनुशंसा के क्रम में वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–737/वि०, दिनांक 27.03.2018 के कण्डिका 4 (ज) के आलोक में शरीरिक रूप से विकलांग कर्मियों को दोगुने परिवहन भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रावधान का लाभ सभी सरकार विभागों/बोर्ड/निकाय/उपक्रम (जहाँ भी उक्त वित्त विभाग संकल्प को अंगीकृत किया गया है) में भी, उक्त संकल्प के आलोक में विकलांग कर्मियों को दोगुने परिवहन भत्ता देना अनिवार्य है।	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** 1. सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों के संबंध में संकल्प संख्या 737/वि०, दिनांक 27.03.2018 लागू है। इस विषयक विस्तृत दिशा–निर्देश संकल्प संख्या 248/वि०, दिनांक 25.01.2019 द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं। 2. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत बोर्ड/निकाय/उपक्रम में संकल्प संख्या 737/वि०, दिनांक 27.03.2018 तथा संकल्प संख्या 248/वि०, दिनांक 25.01.2019 का लाभ देय होगा या नहीं, यह निर्णय संबंधित बोर्ड/निकाय/उपक्रम के सक्षम प्राधिकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र लिया जाना है। 3. राज्य सरकार के अधीन विभिन्न बोर्ड/निकाय/उपक्रमों द्वारा अपने byelaws के अनुरूप निर्णय लिये जाते है। राज्य सरकार उन्हें कोई वित्तीय निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त संकल्प के आलोक में विकलांग कर्मियों को दोगुने परिवहन भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्थिति उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–10/2019.....31/वि.प्र. रॉंची/दिनांक: 27.01.2019

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञापांक 705/वि०स०, रॉंची, दिनांक 21.01.2019 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.19

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
रॉंची।

(58)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक 28.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–24 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2011 में ही नौ (9) क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा सम्प्रति 5 और भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 2011 में कुल 9 तथा 2018 में कुल 5 भाषाओं को अन्य द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नौ क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की विकास हेतु किसी भी प्रकार का संसाधन Infrastructure मुहैया आजतक नहीं कराई गई है और सरकार लगातार भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे रही है;	अस्वीकारात्मक। पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा झारखंड की भाषाओं के उत्थान एवं संवर्द्धन हेतु संबंधित भाषा–प्रक्षेत्रों में एक–एक केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय संसूचित है जिनमें हो, कुड़ुख तथा खोरठा भाषा के केन्द्र की स्थापना हेतु क्रमशः चाईबासा, गुमला तथा बोकारो में भवन का निर्माण कराया गया है। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के अधीन क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा अकादमी को विकसित करने तथा इन भाषाओं के लिये पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय संसूचित है।
3	क्या यह बात सही है कि राजभाषाओं के विकास हेतु सरकार के पास कोई नीति व कार्यक्रम नहीं है जिसके कारण इन भाषाओं के पठन–पाठन, सरकारी कार्य सहित अन्य कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार, राज्य में होनेवाली नियुक्तियों तथा पठन–पाठन के प्रयोजनार्थ विभिन्न भाषाओं का समुचित स्थान सुनिश्चित करने हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग सहित शिक्षक नियुक्ति, आरक्षी नियुक्ति में इन भाषाओं को समुचित स्थान दिया गया है। यथा शिक्षक नियुक्ति में क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय के आलोक में दूरगामी ठोस नीति व कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार राज्य की सभी भाषाओं के प्रति संवेदनशील है तथा सभी भाषाओं को यथायोग्य सम्मान देने हेतु कृतसंकल्प है।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांकः–राजभाषा/सं०–02/2019/771/रा० राँची, दिनांक 25 जनवरी, 2019

प्रति, उपसचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. 774 वि.स., दिनांक–23.01.2019 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/1/2019
(चन्द्रभूषण प्रसाद)
सरकार के उपसचिव

(59)

श्री राधा कृष्ण किशोर, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–21 की उत्तर सामग्री

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड आर्थिक सर्वे 2017–18 के अनुसार पलामू तथा संथाल परगना प्रमण्डल के सभी जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रॉंची, सरायकेला तथा जमशेदपुर की तुलना में आर्थिक सम्पन्नता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल स्वच्छता, शहरीकरण जैसे विकास सूचकांक के अत्यन्त पीछे है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि पलामू तथा संथाल परगना प्रमण्डल के सभी जिलों को विकसित कर विकास के प्रक्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन बनाने हेतु विशेष योजना बनाना चाहती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पलामू तथा संथाल परगना प्रमण्डल सहित पूरे राज्य के विकास के लिए कई योजनायें चलाई जा रही हैं। तत्काल अलग से कोई विशेष योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक–112 ....रॉंची, दिनांक 27·01·2019

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 771 दिनांक 23.01.2019 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/19

(अखिलेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव